बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या–03/कृ०बजट–आवंटन–35/2015–284 (आवंटन)/कृ0, पटना, दिनांक 29-03-,2016

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Mail/Fax

सेवा में,

निदेशक उद्यान, बिहार, पटना ।

विषय : **बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य येाजना मद से मुख्यमंत्री बागवानी मिशन हेतु वर्ष 2015–16 में 33.00 करोड़ रू० सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹33,00,00,000 (तैंतीस करोड़ रू०) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय :

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–367 दिनांक–21.03.2016 द्वारा बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य येाजना मद से मुख्यमंत्री बागवानी मिशन हेतु वर्ष 2015–16 में 33.00 करोड़ रू० सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹33,00,00,000 (तैंतीस करोड़ रू०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹33,00,00,000 (तैंतीस करोड़ रू०) मात्र में से ₹27,39,00,000 (सताईस करोड़ उनचालीस लाख रू०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–119–बागवानी तथा वनस्पति फसलें ,मांग सं०–1–उपशीर्ष–0101–उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड–P2401001190101, राज्य योजना स्कीम कोड–AGR–5026 विषयशीर्ष–3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद के अंतर्गत् वित्तीय वर्ष, 2015–16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹33,00,00,000 (तैंतीस करोड़ रू०) मात्र में से ₹5,28,00,000 (पाँच करोड़ अठाईस लाख रू०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना ,मांग सं०–1–उपशीर्ष–0130–उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड– P2401007890130, राज्य योजना स्कीम कोड–AGR–5026 विषयशीर्ष–31 06–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद के अंतर्गत् वित्तीय वर्ष, 2015–16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उपरोक्त ₹33,00,00,000 (तैंतीस करोड़ रू०) मात्र में से ₹33,00,000 (तैंतीस लाख रू०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०–1–उपशीर्ष–0152– उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड– P2401007960152, राज्य योजना स्कीम कोड–AGR–5026 विषयशीर्ष–31 06–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद के अंतर्गत् वित्तीय वर्ष, 2015–16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि० (2) दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–5294 वि० (2) दिनांक–17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

6. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो/निदेर्शो के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. .व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

(प्रभु राम)
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Aawantan\Awantan Letter\Yojna\Rashmi dt-04-12-2016.doc 33

ज्ञापांक– 284 (आवंटन) /कृ०, पटना दिनांक 29-03-2016

प्रतिलिपि– महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 284 (आवंटन) /कृ०, पटना दिनांक–29-03-, 2016

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम० बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित सभी जिला कृषि पदाधिकारी/ सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना शाखा, (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक, (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।